भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2126

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 मई, 2016 को दिया गया)

रूग्ण फर्मों के पुनरूद्धार संबंधी समिति

2126. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री विद्युत वरण महतो :
कुँवर हरिवंश सिंह :
श्री सुधीर गुप्ता :
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ :
श्री एस. आर. विजय कुमार :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी कानून के तहत रुग्ण फर्मों के पुनरूद्धार और पुनर्स्थापन से संबंधित नए नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) नए कानून कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): जी, हां। सरकार ने प्रारूप एनसीएलटी तथा एनसीएलएटी नियमों; परिसमापन नियमों; रूग्ण कंपनियों का पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नियम; समझौता, व्यवस्थाएं तथा समामेलन नियम; दमन तथा कुप्रबंधन निषेध नियम; तथा उपर्युक्त नियमों से संबंधित किन्ही अन्य मामलों, या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एनसीएलटी/एनसीएलएटी से संबंधित अन्य नियमों की संवीक्षा करने तथा ई-प्ररूपों को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 17.07.2015 के आदेश द्वारा एक समिति गठित की थी। ऊपर्युक्त समिति ने प्रारूप नियमों के साथ अपनी रिपोर्ट 31.12.2015 को प्रस्तुत की थी। रूग्ण कंपनियों के पुनरूद्धार तथा पुनर्वास से संबंधित नियमों की मंत्रालय में जांच की गई है तथा इस पर आम जनता के साथ विचार-विमर्श भी पूरा कर लिया गया है। इन नियमों को अधिसूचित करना एनसीएलटी तथा एनसीएलएटी की स्थापना और रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) निरसन अधिनियम, 2003 के प्रवृत्त होने पर निर्भर है।

*****